



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

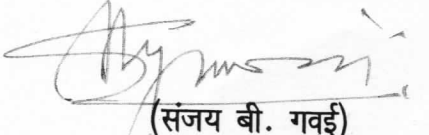
संजय भास्कर गवई
SANJAY B. GAWAI
कार्यकारी कुलसचिव
ACTING REGISTRAR

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : +91-7152-230903
मो./Mob.: 9454335522

पत्रांक : स्था./4237 /2015 /म.गं.अं.हि.वि.
दिनांक 22.01.2015

कार्यालयादेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे किसी कार्यशाला, संगोष्ठी या प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के व्यय पर यात्रा करेंगे तो उन्हें अपने कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन के साथ कम से कम 200 शब्दों में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, तभी उनका यात्रा-व्यय एवं कर्तव्यावकाश मान्य होगा।



(संजय बी. गवई)

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
4. वित्ताधिकारी कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा उक्त संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी, लीला, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. संबंधित फाइल/गार्ड फाइल